एमआरवीसी में सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के रूप में नियुक्ति।

• सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के अनुसार, सीपीएसई (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम) को सामान्य प्रशासन और खरीद में पारदर्शिता और अखंडता बढ़ाने के लिए सत्यनिष्ठा समझौता करना होता है ।

• सीवीसी और डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) सीवीसी के साथ परामर्श को सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नामित किया जाना है। सीवीसी ने निम्नलिखित को मनोनीत किया है -

1.	श्री राधाकृष्ण किनी ए आईपीएस (सेवानिवृत्त), बी 91 विश्रांतिका सीजीएचएस, प्लॉट 5ए, सेक्टर 3 द्वारका, नई दिल्ली 110078 मोबाइल नंबर - 9971722727 ईमेल पता - arvkini2004@yahoo.co.in
2.	श्री राम फल पवार, आईपीएस (सेवानिवृत्त), ए -1102, आम्रपाली सफायर, सेक्टर -45, नोएडा - 201301 (उ.प्र.) मोबाइल नंबर - 8017017878 ईमेल पता - rpawar61@hotmail.com ramphal.pawar@ips.gov.in

- एमआरवीसी में आईईएम के रूप में नियुक्ति के लिए सीवीसी के नामांकन के आधार पर दिनांक 27.06.2023 को श्री राधाकृष्ण किनी ए, आईपीएस (सेवानिवृत्त) एवं दिनांक 05.09.2023 को श्री राम फल पवार, आईपीएस (सेवानिवृत्त) को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है।
- आईईएम की भूमिका और जिम्मेदारियां एमआरवीसी के इंटीग्रिटी पैक्ट के क्लॉज (7) और सीवीसी परिपत्र नंबर 04/06/23 दिनांक 14.06.2023 को इंटीग्रिटी पैक्ट-स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अपनाने पर शासित होंगे ।
- एमआरवीसी द्वारा नियुक्त एक आईईएम के रूप में, किसी भी पक्ष द्वारा समझौते के उल्लंघन के संबंध में कोई भी शिकायत / सूचना प्राप्त होने पर, आईईएम को स्पष्ट रूप से और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करने की आवश्यकता होगी कि क्या और किस हद तक, सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले दलों ने संधि के तहत दायित्वों का अनुपालन किया है।
- संगठन की खरीद के लिए, खरीद विंग आईपी के कार्यान्वयन के लिए केंद्र बिंदु होगा। वर्तमान में, आईपी के कार्यान्वयन के लिए सीई (योजना) को केंद्र बिंदु के रूप में नामित किया गया है।

संलग्नक: : सत्यनिष्ठा समझौता
मानक संचालन प्रक्रिया

सत्यनिष्ठा समझौता

सामान्य

यह समझौता इसके आगे (सत्यनिष्ठा संधि कहा जाएगा) .... को किया जाता है। 20.... के .... महीने का .... दिन, मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (इसके आगे MRVC कहा जाएगा), रेल मंत्रालय के तहत एक सरकारी कंपनी, और मैसर्स .... (इसके आगे "बोली लगाने वाला" कहा जाएगा) बोली लगाने वाले का विवरण।

अभिव्यक्ति "एमआरवीसी" और "बोलीदाता" का अर्थ होगा और उनके संबंधित कानूनी प्रतिनिधि, सफलता या हित, और सामूहिक रूप से "पार्टियों" और व्यक्तिगत रूप से "पार्टी" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

जहां एमआरवीसी निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रियाओं के तहत .... के लिए अनुबंध (ओं) को देने का इरादा रखता है। (निविदा/कार्य का नाम)... (इसके आगे 'अनुबंध' के रूप में संदर्भित)।

जबकि MRVC को आवश्यक रूप से भूमि, नियमों और विनियमों, संसाधनों के आर्थिक उपयोग, और अपने बोलीदाताओं और/या ठेकेदार (कों) के साथ संबंधों में निष्पक्षता/पारदर्शिता के सभी प्रासंगिक कानूनों के पूर्ण अनुपालन की आवश्यकता होती है।

जबकि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, एमआरवीसी ने सभी पक्षों द्वारा सत्यनिष्ठा संधि के अनुपालन के लिए अनुबंध के अंतिम पूरा होने तक पूरी निविदा प्रक्रिया की निगरानी के लिए, इस समझौते के पैरा 7 में विस्तृत रूप में स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) को नियुक्त किया है, जो अनुबंध में शामिल सभी कार्यों के लिए संबंधित होगा ।

इसलिए अब,

एक ऐसी प्रणाली का पालन करके भ्रष्टाचार के सभी रूपों से बचने के लिए जो निष्पक्ष, पारदर्शी और किसी भी प्रभाव/पूर्वाग्रह से मुक्त अनुबंध की मुद्रा से पहले, उसके दौरान, जो करार में लिया जाना है और उसके बाद के अनुबंध की मुद्रा से मुक्त हो:

सार्वजनिक खरीद पर भ्रष्टाचार के उच्च लागत और विकृत प्रभाव से बचने के द्वारा परिभाषित विनिर्देशों के अनुरूप प्रतिस्पर्धी मूल्य पर वांछित कार्यों/भंडार/उपकरण प्राप्त करने के लिए एमआरवीसी को सक्षम करना, और

एमआरवीसी पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करके अपने अधिकारियों द्वारा किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध होगा, यह आश्वासन देकर अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए बोलीदाताओं को रिश्वत देने या किसी भी भ्रष्ट आचरण में शामिल होने से रोकने के लिए सक्षम करना ।

यहां के पक्ष इस अखंडता समझौते में शामिल होने के लिए सहमत हैं और निम्नानुसार सहमत हैं:

1. **<u>क्षेत्र</u>**

   उक्त अनुबंध के संबंध में सत्यनिष्ठा समझौता, निविदा आमंत्रण के चरण से अनुबंध के अंतिम समापन तक लागू रहेगा। इसका कोई भी उल्लंघन बोलीदाताओं की अयोग्यता और इस सत्यनिष्ठा समझौते में निर्दिष्ट भविष्य के व्यापारिक सौदों से बहिष्कृत होगा।

2. **एमआरवीसी की प्रतिबद्धताएं**

2.1 एमआरवीसी का कोई भी अधिकारी, जो सीधे या परोक्ष रूप से अनुबंध से जुड़ा हुआ है, बोली लगानेवाले से किसी भी रिश्वत, किसी भी लाभ, या किसी अन्य लाभ की मांग, कोई वादा नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा, या तो खुद के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए, अनुबंध से संबंधित बोली प्रक्रिया, बोली मूल्यांकन, अनुबंध, या कार्यान्वयन प्रक्रिया में, अनुबंध से संबंधित संगठन, या तृतीय पक्ष लाभ के बदले लेगा ।

2.2 एमआरवीसी निविदा प्रक्रिया के पूरे चरण के दौरान सभी बोलीदाताओं के साथ समानता और तर्क के साथ व्यवहार करेगा। यह सभी बोलीदाताओं को समान जानकारी प्रदान करेगा और किसी विशेष बोलीदाता को ऐसी कोई जानकारी प्रदान नहीं करेगा जो उस विशेष बोलीदाता को भी अन्य बोलीदाताओं की तुलना में लाभ दे सके ।

2.3 एमआरवीसी केवल उन्हीं पार्टियों/पार्टियों से बोलियां प्राप्त करेगा, जिन्हें खुले विज्ञापन/वेब प्रकाशन की प्रक्रिया के माध्यम से शॉर्टलिस्ट किया गया है या पूर्व-योग्यता प्राप्त की गई है।

2.4 यदि एमआरवीसी के किसी अधिकारी (अधिकारियों) की ओर से किसी भी कदाचार की सूचना बोलीदाता द्वारा एमआरवीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को पूर्ण और सत्यापन योग्य तथ्यों के साथ दी जाती है और इसे प्रथम दृष्टया एमआरवीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा सही पाया जाता है, आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही, या कोई भी अन्य कार्रवाई, जैसा कि उचित समझा जाए, MRVC द्वारा शुरू की जा सकती है और ऐसे व्यक्ति को विषय अनुबंध प्रक्रिया से संबंधित आगे के व्यवहार से हटा दिया जाएगा। कदाचार की ऐसी स्थितियों में, जबकि एक जांच शुरू की जा सकती है या जारी रह सकती है, अनुबंध के तहत बोली लगाने, निष्पादन आदि की प्रगति को रोका नहीं जाएगा ।

3. **<u>बोलीदाताओं की प्रतिबद्धताएं</u>**

3.1 बोलीदाता बोली के किसी भी चरण के दौरान पूर्व-अनुबंध, अनुबंध, या अनुबंध के बाद के चरण सहित भ्रष्ट प्रथाओं, अनुचित साधनों और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। विशेष रूप से निम्नलिखित पैराग्राफ में दिए गए उपायों के तहत बोली लगाने वाला यह पालन करता है।

3.2 बोलीदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली प्रक्रिया से जुड़े एमआरवीसी के किसी अधिकारी को या किसी व्यक्ति, संगठन या तीसरे अनुबंध की बोली, मूल्यांकन, अनुबंध और कार्यान्वयन में किसी भी लाभ के बदले अनुबंध से संबंधित पार्टी को नहीं प्रदान करेगा।

3.3 बोली लगाने वाले ने एमआरवीसी के किसी अधिकारी या उनके परिवार के सदस्यों को या अन्यथा अनुबंध की खरीद के लिए या किसी भी तरह के कमीशन, शुल्क, दलाली, या प्रलोभन जैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई रिश्वत या कोई लाभ या अन्य लाभ देने, देने या देने का वादा अनुबंध प्राप्त करने या निष्पादन के संबंध में कोई कार्य करने या करने के लिए प्रभावित नहीं किया है।

3.4 बोलीदाता भारत और/या विदेश में अपने एजेंटों और प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, के नाम और पते का खुलासा करेगा ।

3.5 बोलीदाता इस बोली/अनुबंध के संबंध में एजेंटों/दलालों या किसी अन्य मध्यस्थ को उनके द्वारा किए जाने वाले भुगतानों का खुलासा करेगा ।

3.6 बोलीदाता आगे पुष्टि करता है और एमआरवीसी के लिए घोषणा करता है कि बोली लगाने वाले ने किसी भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी को, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, हस्तक्षेप करने, सुविधा प्रदान करने, या किसी भी तरह से एमआरवीसी या उसके किसी भी अधिकारी, चाहे आधिकारिक या अनौपचारिक रूप से सिफारिश करने के लिए नियुक्त नहीं किया है, बोलीदाता को अनुबंध का आवंटन, ऐसी किसी भी हिमायत, सुविधा, या सिफारिश के संबंध में किसी भी ऐसे व्यक्ति, फर्म या कंपनी को किसी भी राशि का भुगतान, वादा या भुगतान करने का इरादा नहीं है।

3.7 बोलीदाता अनुबंध में रुचि रखने वाले अन्य पक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, निष्पक्षता, और बोली प्रक्रिया की प्रगति, बोली-मूल्यांकन, अनुबंध और अनुबंध के कार्यान्वयन को बाधित नहीं करेगा।

3.8 बोलीदाता किसी भी भ्रष्ट आचरण, अनुचित साधनों और अवैध गतिविधियों के बदले में कोई लाभ स्वीकार नहीं करेगा ।

3.9 बोली लगाने वाला किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा वाहक में निहित जानकारी सहित, योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरणों के संबंध में, व्यापार संबंध व्यापार संबंध के हिस्से के रूप में एमआरवीसी द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी, प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ, या दूसरों के लिए जुनून के उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं करेगा । बोली लगाने वाला उचित कार्रवाई करेगा और पर्याप्त लापरवाही से ऐसी किसी भी जानकारी का खुलासा प्रकट नहीं करेगा।

3.10 बोलीदाता किसी भी शिकायत को सीधे या किसी अन्य तरीके से पूर्ण और सत्यापन योग्य तथ्यों के समर्थन के बिना करने से बचने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि बोलीदाता तुच्छ या झूठी शिकायत (शिकायतें) प्रस्तुत करता है, तो इस संधि के पैरा- 5 में उल्लिखित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

3.11 बोलीदाता ऊपर उल्लिखित किसी भी कार्रवाई के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को उकसाने या उकसाने का कारण नहीं बनेगा ।

3.12 यदि बोलीदाता या बोलीदाता का कोई कर्मचारी या बोलीदाता की ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, एमआरवीसी के किसी अधिकारी का रिश्तेदार है, या वैकल्पिक रूप से, यदि एमआरवीसी के किसी अधिकारी के किसी रिश्तेदार का वित्तीय हित / हिस्सेदारी है बोलीदाता की फर्म में, इसका खुलासा बोली लगाने वाले द्वारा निविदा दाखिल करते समय किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 'रिश्तेदार' शब्द कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 या उसके किसी भी संशोधन (अनुलग्नक-ए) में परिभाषित किया जाएगा ।

3.13 बोलीदाता एमआरवीसी के किसी कर्मचारी के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी तरह के मौद्रिक लेन-देन या लेन-देन में कोई पैसा उधार नहीं देगा या उधार लेगा।

3.14 इस समझौते के तहत आवश्यक सभी प्रकटीकरण इस समझौते के अभिन्न अंग के रूप में संलग्नक/परिशिष्ट के रूप में शामिल किए जाएंगे ।

3.15 यदि बोलीदाता/ठेकेदार एक साझेदारी या एक संघ है, तो इस समझौते पर सभी भागीदारों या संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

4. <u>पिछला उल्लंघन</u>

4.1 बोलीदाता घोषणा करता है कि इस सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने से ठीक पहले पिछले तीन वर्षों में किसी भी देश में किसी भी अन्य कंपनी के साथ या भारत में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या किसी भी सरकारी विभाग के साथ किसी भी भ्रष्ट आचरण के संबंध में कोई पिछला उल्लंघन नहीं हुआ है, जिससे भारत में जो निविदा प्रक्रिया से बोलीदाता के बहिष्करण को उचित ठहराया जा सके ।

4.2 बोलीदाता इस बात से सहमत है कि यदि वह इस विषय पर गलत बयान देता है, बोली लगाने वाले को निविदा प्रक्रिया या अनुबंध से अयोग्य घोषित किया जा सकता है और यदि पहले से ही आवंटित किया गया है, तो इस संधि के तहत प्रतिबंधों को आकर्षित करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

5. **<u>उल्लंघन के लिए प्रतिबंध</u>**

5.1 बोली लगाने वाले या उसके द्वारा नियोजित या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा इस समझौते के प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन (चाहे बोलीदाता के ज्ञान के साथ या उसके बिना) एमआरवीसी को, जहां भी आवश्यक हो निम्नलिखित में से सभी या कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार होगा : -

5.1.1 बिना कोई कारण बताए और बिना किसी मुआवजे के बोली लगाने वाले को पूर्व-आवंटन चरण में अयोग्य घोषित करना। तथापि, अन्य बोलीदाताओं के साथ कार्यवाही जारी रहेगी।

5.1.2 निविदा दस्तावेज/संविदा में किए गए प्रावधानों के अनुसार इस तरह की कार्रवाई / कदम उठाने के लिए, यदि अनुबंध पहले ही हस्ताक्षरित है, तो बोली लगाने वाले को कोई मुआवजा दिए बिना।

5.1.3 एमआरवीसी नीति के अनुसार "एजेंसियों के साथ व्यापार सौदों के निलंबन/प्रतिबंध" (अनुलग्नक-बी) के अनुसार बोली लगाने वाले को भविष्य की बोली प्रक्रियाओं में भाग लेने से रोकना।

5.1.4 बिना कोई कारण बताए, पूरी तरह या आंशिक रूप से, बयाना राशि जमा (पूर्व-अनुबंध चरण में) और/या सुरक्षा जमा/प्रदर्शन बांड (अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद) के लिए।

5.2 एमआरवीसी इस पैरा 5 के तहत उल्लिखित सभी या कोई भी कार्रवाई करने का हकदार होगा, बोली लगाने वाले द्वारा कमीशन की स्थिति में, या इसके द्वारा नियोजित या इसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति (चाहे बोली लगाने वाले के ज्ञान के साथ या बिना) के, भारतीय दंड संहिता के अध्याय IX में परिभाषित अपराध 1860, या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, या भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए अधिनियमित कोई अन्य क़ानून ।

5.3 एमआरवीसी का इस आशय का निर्णय कि बोलीदाता द्वारा इस समझौते के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है, बोली लगाने वाले पर अंतिम और निर्णायक होगा ।

5.4 बोलीदाता इस पैरा- 5 के तहत किसी भी कार्रवाई की स्थिति में एमआरवीसी को किसी भी नुकसान या क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और एमआरवीसी को बोली लगाने वाले को देय राशि से देय राशि की कटौती करने का अधिकार होगा ।

6. **<u>पतन खंड</u>**

6.1 आपूर्ति निविदाओं के मामले में, बोलीदाता यह मानता है कि उसने भारत सरकार के किसी अन्य ग्राहक/मंत्रालय/विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को वर्तमान बोली में दी गई कीमत से कम कीमत पर समान विवरण के स्टोर की आपूर्ति नहीं की है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि समान विवरण के समान स्टोर की आपूर्ति बोलीदाता द्वारा भारत सरकार के किसी अन्य ग्राहक/मंत्रालय/विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को अनुबंध की अवधि के दौरान कम कीमत पर की गई थी, तो उसी कीमत के साथ, बीता हुआ समय और लागू अनुबंध शर्त के लिए देय भत्ता, वर्तमान मामले पर लागू होगा, और यदि अनुबंध पहले ही समाप्त हो चुका है, तो लागत में अंतर बोली लगाने वाले द्वारा एमआरवीसी को वापस कर दिया जाएगा ।

7. **<u>स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम)</u>**

7.1 एमआरवीसी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से इस समझौते के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (इसके बाद आईईएम के रूप में संदर्भित) नियुक्त किया है, आईईएम का नाम और पते नीचे दिए गए हैं:

I. श्री राधाकृष्ण किनी ए आईपीएस (सेवानिवृत्त),
मोबाइल नंबर 9971722727
ईमेल पता - arvkini2004@yahoo.co.in

II. श्री राम फल पवार, आईपीएस (सेवानिवृत्त),
मोबाइल नंबर - 8017017878
ईमेल पता - rpawar61@hotmail.com
ramphal.pawar@ips.gov.in

7.2 आईईएम का कार्य, स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करना होगा कि क्या और किस हद तक पार्टियां इस संधि के तहत दायित्वों का पालन करती हैं।

7.3 आईईएम, पार्टियों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं होंगे और स्वाभाविक रूप से और स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेंगे ।

7.4 दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं कि आईईएम के पास बिना किसी प्रतिबंध के एमआरवीसी और बोली लगाने वाले के सभी परियोजना दस्तावेजों तक पहुंच का अधिकार होगा, जब आईईएम द्वारा वैध हित का अनुरोध और प्रदर्शन किया जाएगा। यह बोली लगाने वाले के उप-ठेकेदारों पर भी लागू होता है। आईईएम सभी पक्षों की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीयता के साथ व्यवहार करने के लिए संविदात्मक दायित्व के अधीन होंगे।

7.5 सत्यनिष्ठा संधि के प्रावधानों का अनुपालन न करने की स्थिति में, किसी भी शिकायत / गैर-अनुपालन को एक पीड़ित पक्ष द्वारा, सहायक दस्तावेजों के गैर-अनुपालन का विशिष्ट विवरण देते हुए, सीएमडी द्वारा नियुक्त एमआरवीसी के नामित नोडल अधिकारी को भेजा जा सकता है। नोडल अधिकारी, शिकायत के सत्यापन के बाद, उसके द्वारा प्राप्त शिकायत / गैर-अनुपालन को उक्त आईईएम को संदर्भित करेगा। वैकल्पिक रूप से, जैसे ही आईईएम इस समझौते के उल्लंघन को नोटिस करता है, या यह मानने का कारण है कि उल्लंघन हुआ है, या शिकायत प्राप्त हुई है, वह तभी एमआरवीसी के सीएमडी को सूचित करेगा ।

7.6 उसके बाद आईईएम उनके द्वारा प्राप्त अज्ञात/छद्मनाम शिकायतों के अलावा सभी शिकायतों की जांच करेगा और एमआरवीसी के सीएमडी को अपनी लिखित रिपोर्ट एमआरवीसी/बोलीदाता द्वारा संदर्भ या उन्हें सूचित करने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर देगा और, यदि आवश्यक हो, समस्याग्रस्त स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा ।

8. **<u>कानून और क्षेत्राधिकार का स्थान</u>**

यह समझौता भारत में आमंत्रित और अंतिम रूप दी गई सभी निविदाओं पर लागू होगा। यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है और किसी मुद्दे को हल करने का स्थान और अधिकार क्षेत्र मुंबई होगा।

9. **<u>अन्य कानूनी कार्रवाई</u>**

इस सत्यनिष्ठा संधि में निर्धारित कार्रवाइयां किसी भी अन्य कानूनी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हैं जो किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही से संबंधित मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार अनुसरण कर सकती हैं ।

10. **<u>वैधता</u>**

10.1 इस सत्यनिष्ठा समझौते की वैधता इसके हस्ताक्षर की तारीख से होगी और इसे 5 साल तक बढ़ाया जाएगा या एमआरवीसी और बोली लगाने वाले दोनों की संतुष्टि के लिए अनुबंध का पूर्ण निष्पादन, जिसमें दोष देयता / वारंटी अवधि, जो भी बाद में हो । यदि बोली लगाने वाले असफल होते हैं (हैं) तो यह सत्यनिष्ठा समझौता अनुबंध प्रदान करने की तारीख से दो महीने की समाप्ति पर वैध नहीं होगा ।

10.2 यदि इस संधि का कोई प्रावधान अमान्य हो जाता है, तो इस संधि के शेष भाग अप्रभावित रहेंगे जिन्हें पार्टियों द्वारा इरादे और भावना से सम्मानित और कार्यान्वित किया जाएगा।

.....

11. पार्टियां इस सत्यनिष्ठा समझौते पर ..... को ..... पर हस्ताक्षर करती हैं।

(पूरा नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता)
उनके लिए और उनकी तरफ से
मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड

उनके लिए और उनकी तरफ से बोली लगाने वाला (पूरा नाम बोलीदाता एवं रजि. पता)

अधिकृत अधिकारी का नाम
पदनाम

(सील)

गवाह
1.....
2.....

अधिकृत अधिकारी का नाम
पदनाम

(सील)

गवाह
1.....
2.....